राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1071/2013/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ए, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नागपाल सीमेन्ट सप्लायर्स,
4/90, सुखाड़िया शॉपिंग सेन्टर,
श्रीगंगानगर। ....प्रत्यर्थी.

अपील संख्या – 1072/2013/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ए, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आकाश टेलीकॉम,
4–सी, रवीन्द्र पथ यूनियन बैंक के सामने,
श्रीगंगानगर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विनीत पारीक,
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/03/2014

निर्णय

1. यें अपीलें विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 269 एवं 271/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने से इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जावें।

3. प्रकरणों के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीयों का कर निर्धारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 28.02.2011 को आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थीयों द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 में खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम की गयी। आई.टी.सी. क्लेम की गयी खरीद में से प्रत्यर्थीयों को विक्रेता व्यवसाईयों द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये गये। प्रत्यर्थीयों द्वारा इन क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इन जारी क्रेडिट नोट की राशि पर अधिनियम की धारा 18 (1)(ए) से (जी) के प्रावधानों की सीमा से भिन्न निष्पादन पाये

लगातार.....................2

जाने के कारण आई.टी.सी. क्लेम देय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थीयों द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर दिया तथा धारा 55 में ब्याज आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थीयों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थीयों की अपीलें स्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये है वह अनुचित व अवैधानिक है।

6. प्रत्यर्थी व्यहारियों की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनीत पारीक ने कथन किया कि प्रत्यर्थीयों द्वारा सीमेन्ट की बिक्री राज्य के भीतर की गयी है तथा बिक्री पर निर्धारित कर दर अनुसार कर वसूल किये गये है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि प्रत्यर्थीयों के द्वारा उक्त क्रेडिट नोट बिक्री बढ़ाने के कारण से इन्सेन्टिव के रूप में प्राप्त किये गये है। प्रत्यर्थीयों ने अधिनियम की धारा–18(ए) से (जी) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेडिट नोट पर रिवर्स टैक्स गलत लगाये गये है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि प्रत्यर्थीयों को विक्रेता व्यवहारी के द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये गये है उसमें टैक्स में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किये गये है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि क्रेडिट नोट Expost Facto नियम के अन्तर्गत जारी किये गये है। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे बहस करते हुये बताया कि विक्रय मूल्य की परिभाषा 2(36) के Explanation II के अनुसार Expost Facto Incentives, Rebates Etc. को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किये जा सकते है। अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुये कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार Sec. (1) (a) से (g) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर ही रिवर्स टैक्स क्रेडिट की जा सकती है। इस प्रकार से प्रत्यर्थीयों को जो क्रेडिट नोट इस अवधि में प्राप्त हुए है वह बिक्री को बढ़ाने के ऐवज में बोनस के रूप में प्राप्त किये है एवं इससे अधिनियम की धारा–18(1) (a) से (g) के किसी प्रकार प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय रिवीजन नम्बर 208/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–जालौर बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, भिनमाल 37 टैक्स अपडेट 187 तथा माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय M/s Priye Agencies V/s C.T.O Thrissur and Others (2008) 14 Vst 293 (Ker.) निर्णय दिनांक 02.04.2008 एवं माननीय हरियाणा ट्रीयब्यूनल निर्णय मैसर्स मौगा ट्रेडिंग कम्पनी कलान वाली बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा निर्णय दिनांक

लगातार.....................3

12.01.2009 एवं कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, भरतपुर बनाम मैसर्स बीकरवार सीमेंट एजेन्सीज, भरतपुर निर्णय दिनांक 23.09.2013 व 344/2012/भरतपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, भरतपुर बनाम मैसर्स नरेन्द्र कुमार गोविन्द प्रसाद, भरतपुर निर्णय दिनांक 02.09.2013 आदि न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया। अधिकृत प्रतिनिधि ने धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज को अविधिक बताते हुए अपास्त करने का निवेदन किया। उक्त सभी तथ्यों एवं आधारों पर बहस करते हुये प्रत्यर्थीयों के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीयों को क्रमशः सीमेन्ट कम्पनी एवं इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी के द्वारा उक्त अवधि में Trade Discount के तहत क्रेडिट नोट प्राप्त हुए है। क्रेडिट नोट की बिक्री को बढाने के ऐवज में इन्सेन्टिव के तहत प्राप्त हुए है। इन क्रेडिट नोट्स के आधार पर आई.टी.सी. का समायोजन भी प्रत्यर्थीयों के द्वारा नहीं लिये गये है। प्रत्यर्थीयों ने माल का विक्रय राज्य के भीतर कर नियमानुसार कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाये है। अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार Case Discount or Trade Discount बिक्री के बिल जारी करते समय ही बिक्री मूल्य में कम किये जा सकते है लेकिन बिक्री करने के बाद दिये गये Case Discount or Incentive Rebate इत्यादि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किये जा सकते है। अतः ये क्रेडिट नोट्स बिक्री होने के बाद में जारी किये गये है। अतः इनका प्रभाव आई.टी.सी. पर नहीं पड़ता है। प्रत्यर्थीयों द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)(ए) से (जी) के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं किया है। उक्त आरोपित रिवर्स टैक्स विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में प्रत्यर्थीयों के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते है।

8. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 27..8.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

3-3-14

(अमर सिंह)
सदस्य